"न्याय रो सारथी"

(विधिक जागरूकता के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक अनूठी पहल)

संदेश

यह बड़े हर्ष और संतोष का विषय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण समाचार पत्र प्रकाशन के दूसरे संस्करण के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। हमारा उद्देश्य है आप तक कानूनी जागरूकता पहुंचाना, आपको आपके अधिकारों के प्रति सचेत करना, और यह सुनिश्चित करना कि न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक हो, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय से संबंधित हो।

कानून हमारे समाज का आधार है। यह हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमें एक शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाज में रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में, अक्सर लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और अन्याय का शिकार होते हैं। इसलिए कानूनी साक्षरता और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर इस दिशा में कार्यरत है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर नागरिक तक कानूनी जानकारी सरल और सुलभ भाषा में पहुंचे। हमने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगितायें, शिविर और कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनके माध्यम से हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों, विभिन्न कानूनों और न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया है।

यह समाचार पत्र प्रकाशन भी हमारी इसी पहल का एक हिस्सा है। इसमें आपको विभिन्न कानूनी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जैसे कि महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, भूमि संबंधी कानून, और भी बहुत कुछ। आज के संस्करण में विशेष रूप से साइबर अपराधों से बचाव और महिलाओं के अधिकारों की जानकारी का समावेश किया गया है।

हमारा प्रयास है कि यह समाचार पत्र प्रकाशन आपके लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका साबित हो, जो आपको अपने दैनिक जीवन में आने वाली कानूनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करे, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और सभी के अधिकार संरक्षित रह सकें।

आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि इस प्रकाशन को ध्यान से पढ़ें और इसमें दी गई जानकारियों का लाभ उठाएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो आप अधिक जानकारी के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या आपके क्षेत्र के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा व सहायता के लिए अहर्निश तत्पर हैं। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति न्याय व सम्मान के साथ जीवन जी सके।

(एस. चन्द्रशेखर)
न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

साइबर अपराध की पुलिस में शिकायत कैसे करें?

आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा अगर आपके जिले में एक विशेष रूप से अधिसूचित साइबर थाना हो तो उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर अपराधों को **https://cybercrime.gov.in** पर भी ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। उचित जांच के लिए कृपया शिकायत करने के साथ-साथ या शिकायत के बाद जल्द से जल्द पुलिस अधिकारी को निम्न कागजात सौंप दें।

फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट संबंधित शिकायतों हेतु

अगर कोई फर्जी फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है तो यू.आर.एल. के साथ फर्जी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लें या आवेदन में प्रोफाइल के यू.आर.एल. का उल्लेख करें। शिकायत प्रति के साथ स्व-सत्यापित पहचान पत्र संलग्न करें।

वित्तीय फर्जीवाड़ा हेतु

- स्व-सत्यापित पासबुक/क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट कॉपी जमा करना चाहिए, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर का जिक्र किया गया हो।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त धोखाधडी वाले लेन-देन के संदेशों का स्क्रीन-शॉट संरक्षित किया जाना चाहिए तथा शिकायत पत्र के साथ संलग्न भी किया जाना चाहिए।
- धोखाधड़ी के लेन-देन हेतु प्राप्त किसी भी संदिग्ध लिंक या ओ.टी.पी. का स्क्रीनशॉट भी संरक्षित किया जाना चाहिए और शिकायत पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

वेबसाइट संबंधी फर्जीवाड़ा हेतु

- वेबसाइट के यू.आर.एल. के साथ नकली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया जाना चाहिए और शिकायत कॉपी के साथ जमा किया जाना चाहिए।
- धोखाधड़ी वाले लेनदेन की स्व सत्यापित प्रति, यदि कोई हो तो शिकायत प्रति के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जागरूक होकर तथा साइबर अपराधियों द्वारा बिछाये गये जाल में न फंसकर साइबर अपराध से लड़ने में हमारी मदद करें। इसके अलावा साइबर अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने के सभी प्रयास के बारे में पुलिस को सूचित करें। यह हमें साइबर अपराधियों को पकड़ने या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने से पहले रोकने में मदद कर सकता है। इसे **https://cybercrime.gov.in** अथवा हेल्पलाइन नम्बर **1930** पर भी सूचित किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं ?

- जो भी सूचना या व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर साझा की जाती है वह हमेशा के लिए वहां मौजूद रहती है क्योंकि सूचना को पूरी तरह डिलीट करना अत्यंत कठिन है?
- आउटडोर गेम खेलने से आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने, आत्मविश्वास प्राप्त करने, नये सच्चे मित्र बनाने तथा समग्र रूप से आपके व्यक्तित्व का विकास करने में मदद मिलती है?
- ऑनलाइन गेम्स के साथ स्पैम, वाइरस, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाएंगे जो आपके कम्प्यूटर या मोबाइल फोन या गेमिंग कन्सोल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं? प्रख्यात साइट्स से गेम डाउनलोड करना ही सही है। कभी भी अवैध गेम्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टाल न करें?
- बैंक, बैंकिंग धोखाधड़ी की हानि की भरपाई तभी करता है जब लापरवाही अथवा सुरक्षा में कमी बैंक की ओर से हुई हो?

डिजिटल अरेस्ट से बचाव के उपाय

डिजिटल अरेस्ट एक नया तरह का साइबर अपराध है, जिसमें अपराधियों द्वारा आपको डराया-धमकाया जाता है और आपसे पैसे वसूले जाते हैं। इससे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:-

सतर्क रहें

- किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें।
- यदि कोई आपको डराता है या धमकी देता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
- अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

जागरूक रहें

- डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं।
- साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें।

सुरक्षित रहें

- अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को सुरक्षित रखें
- एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
- मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।
- किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

रिपोर्ट करें

- यदि आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं, तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें।
- साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं।
- स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

- डिजिटल अरेस्ट में अपराधी आपको यह कहकर डराते हैं कि आप किसी अपराध में शामिल हैं।
- आपको एक फर्जी वारंट या अदालत का नोटिस भी दिखा सकते हैं।
- आपसे तुरंत पैसे जमा करने के लिए कहेंगे, ताकि आपको गिरफ्तार न किया जाए।

साइबर अपराध/साइबर धोखाधड़ी

साइबर अपराध/साइबर धोखाधड़ी एक प्रकार का अपराध एवं धोखाधड़ी है जो इंटरनेट कम्प्यूटर और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके की जाती है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी की चोरी करने या धोखाधडी से प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

साइबर अपराधों के कई प्रकार हैं, इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार है

फिशिंग:- इसमें धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति आपको एक नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कहता है। यह व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए किया जाता है।

ऑनलाइन धोखाधड़ी:- इसमें धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति आपको ऑनलाइन धोखा देते हैं, जैसे कि नकली वेबसाईट बनाकर या ऑनलाइन लेनदेन में धोखाधड़ी करना।

हैकिंग:- इसमें धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति आपके कम्प्यूटर या अकाउंट में अनाधिकृत पहुच प्राप्त करते हैं।

डेटा चोरी:- व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी चोरी करना।

साइबर धमकी:- ऑनलाइन धमकी देना या किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। इसमें साइबर उत्पीड़न और अश्लील सामग्री का प्रसार एवं ऑनलाइन उत्पीड़न या परेशान करना भी शामिल है।

साइबर पुलिस :- इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित या बुली करने का एक प्रारूप है।

ई-मेल स्पूफिंग :- आपको ऐसे ई-मेल भेजकर जो वास्तविक लगे तथा विश्वशनीय ई-मेल आई डी से भेजा गया लगे किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होगा।

बैंकिंग फ्रॉड:- स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करना।।

साइबर अपराध में सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग, फर्जी अकाउंट बनाकर उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग जैसे कई तरीके भी सम्मिलित हैं। विभिन्न तरीकों से इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी व्यक्ति की पहचान तथा निजी जानकारी चुराकर उसको क्षति पहुंचाना भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।

साइबर अपराधों से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें
- अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं।
- वर्ड में अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण करें।
- मित रूप से अपने पासवर्ड बदलते रहें।

संदिग्ध ईमेल और लिंक से बचें
- अज्ञात प्रेषकों से आने वाले ईमेल और लिंक पर क्लिक न करें।
- कभी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक की रिपोर्ट करें।
- कभी भी ऐसे ईमेल का जवाब न दें जो आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगता हो।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें
- सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करे
- अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखें।
- सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

साइबर अपराधों की रिपोर्ट करें
- यदि आप साइबर अपराध का शिकार बनते हैं, तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें।
- आप साइबर अपराध पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतें
- केवल विश्वसनीय वेबसाइटों से ही खरीदारी करें।
- अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखें।
- ऑनलाइन खरीदारी करते समय सुरक्षित भुगतान विधियों का उपयोग करें।

अपने कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित रखें
- एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर सॉफ़्टवेयर स्थापित करें।
- अपने सॉफ़्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें।
- अपने कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को लॉक रखें।

अतिरिक्त सुझाव
- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करें।
- अपने डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें।
- फ़िशिंग और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें।

जागरूक रहें
- साइबर अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- अपने परिवार और दोस्तों को साइबर अपराधों के बारे में शिक्षित करें।
- साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चेतावनियों पर ध्यान दें।

अनजान लिंक पर क्लिक ना करे ! | फर्जी कॉल को ना सुने! | अपना ओ.टी.पी. किसी को ना बताएँ!

बच्चों हेतु साइबर सुरक्षा संबंधी सुझाव

क्या करें ?

पासवर्ड हमेशा अल्फान्यूमेरिक व विशेष चिन्ह (Special Character) के संयोजन से मिला हुआ मजबूत होना चाहिए।

जब आप किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट/मेल/चैटिंग इत्यादि से असहज महसूस करते हैं, तो तुरंत अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी चिंता को साझा करें।

वास्तविक जीवन के शिष्टाचार व संस्कार साईबर दुनिया में भी समान रूप से लागू होते हैं।

हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ें जिन्हें आप वास्तविक जीवन में जानते हो तथा अपने माता-पिता की अनुमति अवश्य लें।

क्या ना करें ?

कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि इत्यादि किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, ट्विटर इत्यादि पर साझा न करें।

अश्लील / आपत्तिजनक परेशान करने वाले ई-मेल, चैट या पोस्ट का जवाब न दें।

सोशल मीडिया पर अश्लील / आपत्तिजनक ई-मेल, चैट या पोस्ट को साझा/पोस्ट न करें।

कभी भी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने को राजी ना हो जब तक की अपने माता-पिता की निगरानी या जानकारी में ऐसा न हो रहा हो।

किसी व्यक्ति को तब तक अपने ऑनलाइन फ्रेंड लिस्ट में शामिल न करें जब तक आप उसे अपने वास्तविक जिंदगी में न जानते हो या पहले कभी न मिलें हों।

बिना अपने माता-पिता के साथ चर्चा किये कोई भी सामान ऑनलाइन न खरीदें।

रालसा का अभिनव प्रयास - मुकदमा दर्ज करने से पूर्व मध्यस्थता से विवाद का समाधान

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुकदमा पूर्व मध्यस्थता से विवादों के त्वरित व सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में नवाचार प्रारंभ किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायालय मे मामला दर्ज करने से पहले ही विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का एक प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराती है।

मुकदमा पूर्व मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्ष, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, विवादित पक्षों को आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। यह प्रक्रिया न्यायालय में मामला दर्ज करने से पहले ही शुरू हो जाती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

मुकदमा पूर्व मध्यस्थता के लाभ

- **त्वरित समाधान** - न्यायालय की लंबी प्रक्रियाओं से बचकर कम समय में विवादों का निपटारा।
- **कम खर्च** - मुकदमेबाजी का खर्च और न्यायालय शुल्क बचता है।
- **सौहार्दपूर्ण संबंध** - विवादित पक्षों के बीच संबंधों को बनाए रखने में मदद।
- **गोपनीयता** - न्यायालय की सार्वजनिक प्रक्रियाओं के विपरीत, मध्यस्थता गोपनीय होती है।
- **लचीलापन** - विवादित पक्ष अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाधान तैयार कर सकते हैं।

किन मामलों में मुकदमा पूर्व मध्यस्थता की जा सकती है

- व्यावसायिक विवाद
- संपत्ति विवाद
- पारिवारिक विवाद
- उपभोक्ता विवाद
- श्रम विवाद
- चैक अनादरण के मामले
- मोटर दुर्घटना क्लेम के मामले
- अन्य सिविल मामले जो मध्यस्थता अधिनियम 2023 में वर्जित नहीं हैं

किसी विवाद के लिए न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता कराने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन ईमेल के माध्यम से **splsccrslsa@gmail.com** पर भी भेजा जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के ईमेल पते रालसा की वेबसाईट **rlsa.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए रालसा की हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। मध्यस्थता कराने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में 180 मध्यस्थता केन्द्र कार्यरत हैं जिनमें 991 प्रशिक्षित मध्यस्थ सेवायें दे रहे हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थ के रूप में सेवायें प्रदान करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन भी आमंत्रित किये हैं। बैंकिंग, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, इन्श्योरेंस, शिक्षा, कृषि, राजस्व, निर्वाचन, रक्षा व अन्य सरकारी व निजी क्षेत्र के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारीगण भी मध्यस्थ बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 8 मार्च को होगी आयोजित

लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लम्बित विवाद या मुकदमा प्रस्तुत करने के पहले के स्तर पर विवादों को आपसी समझौते या राजीनामा से निपटाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत लोक अदालत द्वारा पारित किये गये अवॉर्ड को सिविल अदालत की डिक्री के समान माना जाता है। उक्त अवॉर्ड अंतिम होता है, जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती तथा ये सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। प्री-लिटिगेशन स्टेज (मुकदमा प्रस्तुत करने के पूर्व के स्तर पर) पर भी पक्षकार अपना प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकते हैं। ऐसे मामलों में, जो अवॉर्ड पारित होता है, वह डिक्री के समान होता है और मुकदमा प्रस्तुत किये बगैर ही उन पक्षकारों का विवाद राजीनामा से निस्तारित हो जाता है।

लोक अदालत में रखे जाने वाले मामले

1. सभी राजीनामा योग्य आपराधिक मामले
2. धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण
3. एम.ए.सी.टी. के प्रकरण
4. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
5. श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मकार मुआवजा, पेंशन मामले
6. भूमि अधिग्रहण मामले
7. राजस्व मामले
8. नल, बिजली, टेलिफोन बिल संबंधी मामले
9. उपभोक्ता शिकायत मामले
10. दीवानी मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार कब्जा प्राप्ति, निषेधाज्ञा, घोषणा, धन वसूली वाद, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे)
11. राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरण/आयोग/मंच/प्राधिकारी के समक्ष लंबित हों।

यदि कोई व्यक्ति / पक्षकार न्यायालय में लंबित अपने उक्त प्रकृति के प्रकरण को सुलह के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है तो वह 8 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों को रखवा सकता है।

वर्ष में चार बार पूरे देश में सिविल, आपराधिक व राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2024 में राजस्थान में माह मार्च, जुलाई, सितम्बर व दिसम्बर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिनमें इन न्यायालयों में लंबित 21.40 लाख मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें **चैक अनादरण के 89856** एवं **मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित 13559 प्रकरण** थे जिनका निस्तारण राजीनामे के माध्यम से हुआ। इनमें से **4174 मामले तो 10 साल से अधिक पुराने** थे। आप भी अपने प्रकरण का लोक अदालत में रखवा कर न्यायालय की लंबी प्रक्रिया व खर्चे से बच सकते हैं।

दिनांक 22.12.2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता की कहानियां

- अजमेर के पारिवारिक न्यायालय के एक प्रकरण में पक्षकारान का विवाह वर्ष 2009 में हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात् पति-पत्नी के मध्य आपसी मतभेद के चलते विवाद रहने लगा और दोनों अलग अलग रहने लगे। यह प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच के समक्ष रखा गया। लोक अदालत की समझाईश से पति पत्नि राजीखुशी एक साथ रहने के लिए तैयार हो गये और **पति-पत्नी के मध्य** वर्षों से चला आ रहा विवाद का लोक अदालत की भावना से समाप्त हो गया।
- एक मामले में विधवा आदिवासी महिला ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि उसकी पारिवारिक आर्थिक तंगी के चलते मार्च, 2022 से बकाया चल रहे दस हजार रूपये के बिजली बिल समय पर जमा नहीं करवाने के कारण बिजली विभाग द्वारा उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। गरीब होने के कारण उसे लगभग 3 साल से अंधेरे में रहना पड़ रहा था। लोक अदालत द्वारा तुरन्त संज्ञान लेकर गरीब विधवा वृद्ध महिला के **बिल में छूट दिलवाई** तथा मीटर लगवाकर पुनः **विद्युत कनेक्शन चालू** करवाया।
- सिरोही जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड में विचाराधीन एक प्रकरण दुकान किराया/बेदखली को लेकर वर्ष 2011 से चला आ रहा था इस प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत को रैफर किया गया एवं पक्षकारान् के मध्य समझाइश की गयी जिसके फलस्वरूप **लगभग 13 वर्षों से चला आ रहा विवाद** लोक अदालत की भावना से निपटाया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च पर विशेष

भारत में महिलाओं के अधिकार संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। मुख्य अधिकार निम्न हैं :-

संवैधानिक अधिकार

- **समानता का अधिकार - अनुच्छेद 14**
  कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
- **भेदभाव का निषेध - अनुच्छेद 15 (1)**
  धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- **अवसर की समानता का अधिकार - अनुच्छेद 16**
  सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- **राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है – अनुच्छेद 15(3)**
  सरकार को सकारात्मक कार्रवाई नीतियां बनाने की अनुमति देता है।
- **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार - अनुच्छेद 21**
  यह कई अन्य अधिकारों का आधार है, जिसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
- **समान कार्य के लिए समान वेतन - अनुच्छेद 39 (घ)**
  राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **काम की मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत – अनुच्छेद 42**
  राज्य को ये सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
- **निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार अनुच्छेद 39क**
  यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि महिलाएँ ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। इस अधिकार से महिलाओं के वित्तीय या सामाजिक बाधाओं की चिंता किए बिना न्याय पाने में मदद मिलती है।

कानूनी अधिकार

- **घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार**
  घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, घरेलू दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार**
  कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **गरिमा और शालीनता का अधिकार**
  भारतीय न्याय संहिता आदि कानून महिलाओं को यौन हमले और उत्पीड़न जैसे अपराधों से बचाते हैं।
- **संपत्ति के अधिकार**
  हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधित), बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान विरासत अधिकार प्रदान करता है।
- **दहेज के खिलाफ अधिकार**
  दहेज निषेध अधिनियम, 1961, दहेज देने और लेने को प्रतिबंधित करता है।
- **विवाह और तलाक के संबंध में कानूनी अधिकार**
  यह अधिकार महिला के धर्म के आधार पर भिन्न होते हैं।

महिलाओं को अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता क्यों है?

1. **कार्यस्थल पर महिलाओं को सशक्त बनाना**
   महिलाओं के लिए अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए इन अधिकारों को समझना आवश्यक है। कार्यस्थल के संदर्भ में, अपने अधिकारों को जानना महिलाओं को खुद को मुखर करने और उचित व्यवहार की मांग करने में सशक्त बनाता है।
2. **समान वेतन के लिये जागरूक करना**
   समान वेतन के अधिकार जैसे कानूनों के बारे में जागरूकता यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएँ वेतन वार्ता में खुद की वकालत कर सकती हैं। यह ज्ञान लैंगिक वेतन अंतर को कम करने और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. **काम और परिवार में संतुलन**
   मातृत्व अवकाश कानून से परिचित होने से महिलाएं अपने करियर और परिवार नियोजन के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। इस क्षेत्र में अपने अधिकारों को समझकर, महिलाएं अपनी नौकरी की सुरक्षा या वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं।
4. **उत्पीड़न और हिंसा का मुकाबला करना**
   इसके अलावा यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ़ कानूनों की जानकारी महिलाओं को दुर्व्यवहार या भेदभाव की घटनाओं को पहचानने और उनका समाधान करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यह समझ ज़रूरी है।
5. **समग्र सशक्तिकरण**
   कुल मिलाकर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने से महिलाओं को आत्मविश्वास लचीलापन और सम्मान की भावना के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। खुद को ज्ञान से लैस करके महिलाएं अपने अधिकारों का दावा कर सकती हैं और एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने में योगदान दे सकती हैं।

शी-बॉक्स

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न की शिकायत का ऑनलाईन पोर्टल

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी ऑरेलियानो बनाम गोवा राज्य के मामले में पारित आदेशों की पालना में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति/स्थानीय समिति का गठन करवाया जाकर शी-बॉक्स पोर्टल की शुरूआत करवाई गई है।

शी-बॉक्स

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक केन्द्रीकृत पोर्टल है। इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों कार्यालय शामिल है। शी-बॉक्स का अर्थ है- सेक्सुअल हैरसमेंट इलेक्ट्रानिक बॉक्स पोर्टल (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रोनिक-बॉक्स पोर्टल)। इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। शी-बॉक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद दर्ज शिकायत को सीधे संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके पास इस पर कार्यवाही करने का अधिकार है।

भारतीय स्टेट बैंक हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन

भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर मण्डल के मुख्य महाप्रबन्धक श्री संदीप भट्नागर के विशेष प्रयासों से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्टेट बैंक के वसूली सम्बन्धी विवादों के निपटान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.08.2024, 18.11.2024 एवं 15.02.2025 को राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें समझौते के माध्यम से कुल 3,280 प्रकरण निपटाये गये। इन प्रकरणों में कुल रूपये 74.22 करोड़ के समझौते हुए तथा रूपये 37.60 करोड़ की नकद वसूली प्राप्त हुई। उपर्युक्त विशेष लोक अदालतों का आयोजन, नियमित लोक अदालतों के अतिरिक्त किया गया। इन नियमित लोक अदालतों में भी 15,909 प्रकरणों का निपटान हुआ तथा रूपये 363.87 करोड़ के समझौते हुए व रूपये 168.75 करोड़ की नकद वसूली प्राप्त हुई। इन विशेष लोक अदालतों के सफलतापूर्वक आयोजन में बैंक कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ जिसमें श्री प्रदीप्त किशोर पाण्डा, उप महाप्रबंधक एवं सीसीओ व श्री संजीव कुमार माथुर, सहायक महाप्रबंधक (विधि) के सतत प्रयास उल्लेखनीय हैं।

अनमोल बनाम भारत संघ (2025) आई.एन.एस.सी. 256

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 'दोनों हाथ सही सलामत' (both hands intact) की शर्त को अनुचित और असक्षम्य बताया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 41, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित सिद्धांतों और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के लाभकारी प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस शर्त को संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुकन्या सांथा बनाम भारत संघ (2024) आई.एन.एस.सी. 753

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जेलों में जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकरण चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, संविधान के तहत मान्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने जेलों में जातीय आधारित पृथककरण को असंवैधानिक घोषित कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक सुधारों का आदेश दिया तथा जेल प्रणाली के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने और भेद-भाव को रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना की।

ATUL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, "विधिक सेवा सदन", विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर - हेल्पलाइन नंबर: 15100, 9828900900

नि:शुल्क विधिक सहायता / सेवा हेतु सम्पर्क करें:

AJMER: 9358865706, 8306002101 | ALWAR: 9358865707, 8306002102 | BALOTRA-BARMER: 9358865708, 8306002103 BANSWARA: 9358865710, 8306002104 | BARAN: 9358865711, 8306002105 | BHARATPUR: 9358865712, 8306002106
BHILWARA: 9358865713, 8306002107 | BIKANER: 9358865714, 8306002108 | BUNDI: 9358865715, 8306002109 | CHITTORGARH: 9358865716, 8306002112 | CHURU: 9358865718, 8306002110 DAUSA: 9358865719, 8306002114
DHOLPUR: 9358865720, 8306002115 | DUNGARPUR: 9358865721, 8306002116 | GANGANAGAR: 9358865722, 8306002117 | HANUMANGARH: 9358865723, 8306002118 | JAIPUR DISTRICT: 9358865725, 8306002120 | JAIPUR-METRO I: 9358865724, 8306002119
JAIPUR-METRO II: 9358510180 | JAISALMER: 9358865726, 8306002123 | JALORE: 9358865727, 8306002126 | JHALAWAR: 9358865728, 8306002127 | JHUNJHUNU: 9358865729, 8306002128 | JODHPUR-DISTRICT: 9358865731, 8306002129
JODHPUR-METRO: 9358865730, 8306002021 | KARAULI: 9358865732, 8306002130 | KOTA: 9358865733, 8306002131 | NAGAUR-METRA CITY: 9358865734, 8306002132 | PALI: 9358865735, 8306002166 | PRATAPGARH: 9358865736, 8306002134
RAJSAMAND: 9358865738, 8306002135 | SAWAIMADHOPUR: 9358865739, 8306002136 | SIKAR: 9358865740, 8306002137 | SIROHI: 9358865742, 8306002138 | TONK: 9358865743, 8306002139 | UDAIPUR: 9358865744, 8306002022

सौजन्य से: SBI भारतीय स्टेट बैंक

अस्वीकरण:- इस प्रकाशन का उद्देश्य केवल आमजन को विधिक रुप से जागरुक व साक्षर बनाना है । इस प्रकाशन की कोई भी सामग्री किसी प्रकरण विशेष के लिए विधिक सलाह नहीं है।